भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, **Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section of NH-346 (old SH-19)** मार्ग निर्माण हेतु परिक्षेत्र विदिशा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 552 की 2.33 हेक्टेयर वन भूमि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सागर को उपयोग पर देने देने के लिए , वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 4.10.2022
स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

4.10.22

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 2140

प्रति, भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2022

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– विदिशा जिले अंतर्गत **Four Laning of Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section of NH-346 (old SH-19) Road** के निर्माण हेतु 2.33 हेक्टेयर वनभूमि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर को उपयोग पर देने बावत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्र. **FP//MP/ROAD//149399/2021)**

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक/माचि/1809 दिनांक 27/09/2022

—00—

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा ने संदर्भित पत्र द्वारा Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section of NH-346 (old SH-19) मार्ग निर्माण हेतु वनमंडल विदिशा अंतर्गत परिक्षेत्र विदिशा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 552 की 2.33 हेक्टेयर वन भूमि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सागर को उपयोग पर देने बावत्, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, , निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव के निर्धारत प्रारूप भाग I का अवलोकन करने पर पाया गया कि परियोजना अंतर्गत वनमंडल विदिशा की 2.33 हे. वनभूमि के अतिरिक्त वनमंडल विदिशा में 90.32 हे0 तथा वनमंडल रायसेन में 17.05 हे0 राजस्व क्षेत्र भी प्रभावित होता हैं। *उक्त राजस्व क्षेत्र, राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) तो नहीं हैं, के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु* कार्यालयीन पत्र क्र/माचि/580 दिनांक 1/2/22 से व0म0अ0 सा0 रायसेन एवं विदिशा को लेख किया गया।

जिसके तारतम्य में वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन ने उनके पत्र पृ.क्रमांक/ माचि/921 दिनांक 14/06/2022 एवं व.म.अ सा विदिशा ने उनके पत्र क्रमांक/माचि/1458 दिनांक 1/08/2022 से अवगत कराया गया कि " *प्रकरण में प्रभावित राजस्व क्षेत्र में कोई भी वनभूमि एवं छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद की, राजस्व वनभूमि शामिल नहीं हैं।*

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 209 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं

3. प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल कुल 2.33 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल विदिशा ने उनके पत्र क्रमांक/माचि/1458 दिनांक 1/08/2022 से परिक्षेत्र गंज बासौदा की बीट पधार के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 188 में चयनित 5.000 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, राशि रूपये 56,05,775/– की तकनीकी स्वीकृति, कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/338 दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सहमति सहित तीन प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।
संलग्नः–यथावर्णित।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2141 भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2022

प्रतिलिपिः–वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सागर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

4-10-22

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2022.doc

Scanned by CamScanner